मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित रविशंकर, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये । श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री रामलखन सिंह तथा श्री पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी शोकोदगार व्यक्त किये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.40 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.50 बजे पुन : समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये । प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 109 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 47 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के तालाबों की सफाई का ध्यान न रखे जाने,
(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले की ग्राम पंचायत सरदारपुर में दूषित पेयजल से ग्रामीणों के बीमार होने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा नगर सीमा में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्माण होने,
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद के इटारसी में लावारिस बच्चों के पालन हेतु पुलिस को बजट न मिलने
(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालय में बी.ए.एम.एस. कक्षा में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश न देने,
(6) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की जिला राजगढ़ में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में मनमानी होने,
(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की जबलपुर के अमरकंटक मार्ग पर नदियों एवं नालों की पुल पुलिया का निर्माण न होने,
(8) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की किसानों को सिंचाई हेतु चार पांच माह की राशि जमा कर विद्युत दी जाने,
(9) श्री अजय सिंह, सदस्य की सीधी जिले के रामपुर के ग्राम खैरा में त्रुटिपूर्ण बंदोबस्त से कृषकों के परेशान होने,
(10) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर के किलागेट क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(11) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी से झांसी के मध्य राज्य परिवहन निगम की बस चलना बंद होने,
(12) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य की इन्दौर में भ्रूण व लिंग परीक्षण केन्द्र बन्द किये जाने,
(13) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की बालाघाट में राज्य बीमारी सहायता निधि का निराकरण न होने,
(14) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सीधी जिले में एम्बूलेंस सेवा न होने,
(15) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर शहर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर प्लाट काटे जाने,
(16) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर के ग्राम प्रकाश बम्होरी में विद्युत के ट्रांसफार्मर खराब होने,
(17) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा अयोध्या नगर स्थित भवनों के मूल्य की राशि बढ़ाने,
(18) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की सतना जिले के कई ग्रामों में आवारा पशुओं द्वारा फसलें नष्ट की जाने,
(19) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के रैगांव क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा फसलें नष्ट किये जाने,

(20) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कालेज के छात्रावास की दयनीय स्थिति होने,
(21) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की शहडोल जिले के झगरहा स्थित विद्यालय के शिक्षक को अनुपस्थिति का भुगतान किए जाने,
(22) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सड़क निर्माण कार्य अपूर्ण होने,
(23) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य की भिण्ड जिले में कम वोल्टेज से विद्युत का प्रदाय होने,
(24) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के ग्राम हटा पटेरा मार्ग का निर्माण कार्य बंद होने,
(25) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल के बागसेवनिया क्षेत्र में पानी की किल्लत होने,
(26) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की दमोह के हटानाला स्थित क़बिस्तान में कचरा डाले जाने,
(27) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के जवा क्षेत्र में आवंटित पट्टे का कब्जा न दिलाये जाने,
(28) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की जिला बैतूल के आठनेर में गरीबी रेखा सम्बन्धी राशन कार्ड न मिलने,
(29) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों को नियम विरूद्ध पदोन्नति देने,
(30) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी शहर में सुभाष चौक पर शराब की दुकान खोली जाने,
(31) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में विद्युत संकट होने,
(32) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले में विद्युत तार क्षतिग्रस्त होने,
(33) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह स्थित अस्पताल का उन्नयन किये जाने,
(34) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर में मिनी बस पलटने से कई लोगों की मौत होने,
(35) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की बीना के ग्राम गुलोबा में सड़क की स्वीकृति के बाद निर्माण करने,
(36) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट के बैतूल में परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने,
(37) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की तलेन से पढ़ाना मार्ग का निर्माण घटिया स्तर का होने,
(38) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की घुंघरी तहसील के ग्राम सैलवारा स्थित बड़नेर नदी पर स्टाप डैम न होने,
(39) श्री बालाराम बच्चन, सदस्य की भोपाल के कोलार स्थित वार्ड क्र.18 में सुविधाओं का अभाव होने,
(40) श्री संतोष जोशी, सदस्य की शाजापुर जिले के आईसेक्ट संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को टी.ए.डी.ए. न दिये जाने,
(41) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की प्रदेश में जैनेरिक दवाओं के वितरण में परेशानी आने,
(42) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मृत्यु होने,
(43) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की भोपाल जिले की न्यू वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा दो नक्शे बनवाये जाने,
(44) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की म.प्र. दुग्ध महासंघ में स्टाफ की मनमाने ढंग से पदस्थापना करने,
(45) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की भोपाल के भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक छात्र की हत्या होने,
(46) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की भोपाल के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्रों को छात्रावास की सुविधा न मिलने तथा
(47) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश में साक्षरता मिशन में नियुक्त प्रेरकों को मानदेय न दिए जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 31 सूचनाओं में से प्रथम 11 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने चंबल संभाग में कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अराजकता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री सुनील जायसवाल, अजय सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम झिलपिनी ढाना में घटना के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य ने सिंगरोली जिले के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री अजय सिंह,डॉ गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने भोपाल में दिन दहाड़े एक कर्मचारी की हत्या होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण पर अधिक प्रश्न करने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(6) सर्वश्री रामलाल मालवीय, सदस्य ने उज्जैन जिले के सेवरखेड़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलाल मालवीय, सदस्य द्वारा उनकी बात न सुने जाने तथा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होने के कारण सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(7) सर्वश्री नारायण प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने सागर नगरपालिका निगम सीमा अंतर्गत शासकीय भूमि का अवैध बैनामा किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से निम्नलिखित घोषणा की गई कि -

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 23 के अनुसार, शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत हैं। आज भोजनावकाश नहीं होगा और आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 तक के कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् निर्धारित समय के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लिए जाएंगे। तत्पश्चात् कार्यसूची में उल्लेखित अन्य कार्य लिए जाएंगे। आधे घंटे बाद माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी में रहेगी"।

7. ध्यान आकर्षण (क्रमशः)

(8) श्री पारस सकलेचा, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी एवं श्री विश्वास सारंग, सदस्यगण ने रतलाम स्थित उद्योगों द्वारा जहरीले कचरे का निष्पादन न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(9) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य ने धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया।। श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(11) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री के.पी.सिंह, सदस्यगण ने दतिया जिले के ग्राम बेरछा में एक परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। । श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 4 के उप पद (12) से (31) तक के माननीय सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(12) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में शिष्टाचार के नियमों का पालन न होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ के अंतर्गत हताई खेड़ा जलाशय की नहर क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के सूरजपुरा डेम के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की संजय सरोवर परियोजना में कार्यरत मजदूरों को कम मजदूरी दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित में ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण की महेश्वर बिजली परियोजना की एस.कुमार ग्रुप की कंपनी का ऋण माफ किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री रामगरीब कोल, सदस्य की रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान की अनेक ग्राम पंचायतों में रोड निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की ब्यावरा के ग्राम बिसोन्या में अधिकारियों की लापरवाही से नल जल योजना प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिला चिकित्सालय में मरीजों को उपचार की सुविधा न मिलने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा अधिक बिद्युत बिल उपभोक्ताओं को दिये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिला मुख्यालय में छात्रावास का निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की होशंगाबाद जिले के सोहागपुर क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम कीजरी से मोटर पंपों की चोरी होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की मुरैना जिले में पेयजल योजनाएं बंद होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(26) सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह एवं पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की भोपाल के एस.बी. गृह निर्माण समिति द्वारा अपात्र लोगों को भू खंड आवंटित किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम रावतपुरा स्थित आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्राम खटखरी में मारपीट से एक व्यक्ति की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(29) सर्वश्री लक्ष्मण तिवारी एवं केदारनाथ शुक्ल, सदस्यगण की रीवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपात्र मदरसों को अनुदान देकर भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(30) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण की इंदौर के खान नदी में प्रदूषण की ओर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री चंपालाल देवड़ा, सदस्य की देवास जिले के ग्राम गुराड़दा से एक छात्रा का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई:-

(1) श्री सुखदेव पांसे (जिला-बैतूल)
(2) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(3) श्री गिरिराज किशोर पोददार (जिला-कटनी)
(4) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(5) डॉ. निशिथ पटेल (जिला-कटनी)
(6) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य (जिला-राजगढ़)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव "सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012)" पर पुनर्ग्रहीत चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(5) श्री अभय कुमार मिश्रा

(6) श्री मदन कुशवाह
(7) श्री रामलखन सिंह

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री पारस सकलेचा

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012)) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।)

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा खण्डों में प्रस्तावित संशोधन सम्बन्धी संक्षिप्त भाषण दिया।

(1) खण्ड 5 : डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने खण्ड 5 में धारा 48 (3) (क), 48 (7) एवं 48 (8) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संशोधन अस्वीकृत हुए।
खण्ड 5 विधेयक का अंग बना।

(2) खण्ड 8 : डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने खण्ड 8 के उपखण्ड (एक) के स्पष्टीकरण में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
खण्ड 8 विधेयक का अंग बना।

(3) खण्ड 10 : डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने उपखण्ड 1 (च) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।
खण्ड 10 विधेयक का अंग बना।

(4) खण्ड 13 : डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने धारा 57-ख (1), 57 ग (2), 57 (ग) (3) (क) एवं 57 (ग) (9) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संशोधन अस्वीकृत हुए।
खण्ड 13 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2,3,4,6,7,9,11,12,14,15,16,17,18,19 तथा 20 इस विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. अशासकीय संकल्प

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन संख्या 11452 इन्टर सिटी एक्सप्रेस जो जबलपुर से रीवा तथा रीवा से जबलपुर चलती है को झुकेही रेल्वे स्टेशन में रोका जाय''.

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में यह संकल्प पारित करने हेतु विभागीय सहमति प्रदान की।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - ''सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों के वयस्क सदस्य जो पृथक परिवार के रूप में रहते है ऐसे नवीन परिवारों के पृथक राशन कार्ड बनाए जावें एवं शासन द्वारा दो रुपये किलों गेहूं एवं तीन रुपये किलों चावल दिये जाने संबंधी योजना का लाभ दिया जाय''.

निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(3) श्री शंकरलाल तिवारी

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं श्री पारस जैन, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, सदन की सहमति के पश्चात् निम्नलिखित रूप में यथासंशोधित संकल्प विचारार्थ प्रस्तुत हुआ :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों के वयस्क सदस्य जो पृथक परिवार के रूप में रहते है, उनका सर्वे करा लिया जाए और सर्वे की संख्या केन्द्र सरकार के पास भेजी जाए और केन्द्र सरकार के सर्वे के आधार पर अगर गेहूं, चावल प्राप्त हों तो कार्ड बनाए जाएं"।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सोनकच्छ आष्टा व्हाया सीहोर रेल लाईन हेतु सर्वे किया जाय" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने अपने उत्तर में यह संकल्प पारित करने हेतु विभागीय सहमति प्रदान की।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि नर्मदा किनारे गावों एवं शहरों को पोलिथिन तथा प्रदूषण के साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के लिये शासकीय योजना के तहत वृक्षारोपण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय और अवैध उत्खनन को सख्ती से रोका जाये" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जयंत मलैया, पर्यावरण मंत्री ने चर्चा के उत्तर में दिए गए लिखित वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध किया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में निवासरत कुम्हार (प्रजापति, प्रजापत, कुंभकार, चक्रवर्ती, पूर्विया, वर्दिया, मालवीय, हतेलिया, कुमावत, मेवाड़ा, मारवाड़ा गोले, लश्करी) को प्रदेश के 10 जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, इसे बढ़ाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये".

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत संकल्प को पारित करने हेतु सहमति प्रदान की।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

11. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदनों पर चर्चा के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बिसाहूलाल सिंह
(2) श्रीमती शशि ठाकुर
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13. नियम 228 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

(1) " सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज सिंह कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, उमाशंकर गुप्ता (गृह मंत्री), डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण द्वारा भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "राज एक्सप्रेस" के संपादक श्री अरूण सहलोत एवं संवाददाता श्री रविन्द्र जैन के विरूद्ध।

(2) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य के विरूद्ध.

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, श्रीमती नीता पटेरिया, श्री मोती कश्यप एवं श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध.

(4) श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती ललिता यादव, श्रीमती नीता पटेरिया एवं श्री संतोष जोशी, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा नगर निरीक्षक थाना लहार-जिला भिण्ड के विरूद्ध.

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा श्रीमती विनीता आजम के विरूद्ध.

संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 229 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -

"यह सदन आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति टिप्पणी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

15. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष विशेषाधिकार भंग की निम्नांकित सूचना विचाराधीन है:-

श्री रामकिशोर कांवरे, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं श्री पारस सकलेचा, सदस्यगण द्वारा श्री बंसल कुर्रे, अपर कलेक्टर एवं श्री जी.एस. धुर्वे, नजूल अधिकारी, शहर वृत्त भोपाल के विरूद्ध।

16. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचना को परीक्षणोपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है –

श्री अनूप मिश्रा एवं अन्य सदस्यों द्वारा सर्वश्री लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत, पुरूषोत्तम दांगी, विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा, आरिफ अकील, नारायण प्रजापति, श्रीमती इमरती देवी और अन्य सदस्यों के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना।

17. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उदगार व्यक्त किये गये :-

त्रयोदश विधान सभा का यह पंचदश सत्र अब समाप्ति की ओर है। ग्यारह दिवसीय इस सत्र में सदन की नौ बैठकें हुई और वित्तीय, विधायी तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2012-13 की द्वितीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की । वहीं 14 शासकीय विधेयक पारित किए गए। इस सत्र में कुल 2852 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें 1677 तारांकित एवं 1175 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 498 सूचनाएं प्राप्त हुई। सदन में 137 याचिकाएं प्रस्तुत हुई और शून्यकाल की 99 सूचनाएं पढ़ी गईं। इस सत्र में एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कराई गई। सदन द्वारा जनहित के विभिन्न अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा की गई । अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत हुए ।

इस सत्र में संपन्न कार्यों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली में हम अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर चुके हैं। वास्तविकता भी यही है कि इससे श्रेष्ठ शासन पद्धति उपलब्ध भी नहीं है। यही वह व्यवस्था है जिसमें जनता के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अपने संसदीय, विधायी और संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। हम जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के ध्वजवाहक हैं अतः इस व्यवस्था के प्रति न केवल हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए बल्कि वह परिलक्षित भी होनी चाहिए ताकि वह जनता भी, जिसने हमें चुना है, आश्वस्त रह सके कि इसी व्यवस्था के माध्यम से उसका विकास और कल्याण संभव है।

इस परिप्रेक्ष्य में हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने कार्याचरण से इस प्रणाली के प्रति जनता की आस्था को बनाए रखें और संसदीय कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। हम सब इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि हमें देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं में से एक का सदस्य होने का अवसर मिला है जिसका शानदार और गौरवशाली अतीत रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम सभी, विभिन्न दलों और दलीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े रह कर भी, अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इसे और समृद्ध करने के लिए संकल्पित हैं।

इस सत्र के सुचारू संचालन में माननीय सदन के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभी माननीय मंत्रीगण और सभी माननीय सदस्यों का जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ। सत्र के कार्यों में सक्रिय सहयोग देने के लिए मैं विधान सभा और शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेश वासियों को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ। अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे । धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामलखन सिंह एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए ।

18. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

19. सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

अपराह्न 4.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012